रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 137] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मई 4, 1972/वैशाख 14, 1894
No. 137] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 1972/VAISAKHA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)
NOTIFICATION
INLAND AIR TRAVAL-TAX

New Delhi, the 4th May, 1972

G.S.R. 272(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Inland Air Travel Tax Act, 1971 (48 of 1971), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts every passenger from the whole of the inland air travel tax leviable under sub-section (1) of section 3 of the said Act, in respect of every inland air journey, the fare for which journey is paid by the United Nations or any international organisation of the United Nations to whom the provisions of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947) have been applied.

[No. 3-FTT/72/F. No. 306/3/72-FTT/CX-3.]

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)
अधिसूचनाएं
अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर
नई दिल्ली, 4 मई, 1972

सा० का० नि० 272 (अ)—अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर अधिनियम, 1971 (1971 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय

सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, प्रत्येक यात्री को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन, प्रत्येक ऐसी अन्तर्देशीय हवाई यात्रा की बाबत, उद्ग्रहणीय समस्त अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर से एतद्द्वारा छूट देती है, जिस यात्रा के लिये किराया संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र के किसी ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा संदत्त किया जाता है जिसको संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के उपबंध लागू होते हैं।

[सं० 3–आई०ए० टी०टी०/72 (फा० सं० 306/3/72–एफ०टी०टी०/सी०एक्स-9]

FOREIGN TRAVAL TAX

New Delhi, the 4th May 1972

G.S.R. 273(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 46 of the Finance (No. 2) Act, 1971 (32 of 1971), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interests so to do, hereby exempt every passenger from the whole of the Foreign Travel Tax leviable under sub-section (1) of section 45 of the said Act, in respect of every international journey, the fare for which journey is paid or is payable by the United Nations or any international organisation of the United Nations to whom the provisions of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), have been applied.

[No. 6-FTT/72/F. No. 306/3/72-FTT/CX-9.]

R. K. THAWANI, Under Secy.

विदेश यात्रा कर

नई दिल्ली, 4 मई, 1972

सा० का० नि० 273 (अ).—वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1971 (1971 का 32) की धारा 46 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, प्रत्येक यात्री को, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन, प्रत्येक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा की बाबत, उद्ग्रहणीय समस्त विदेश यात्रा कर से एतद्द्वारा छूट देती है, जिस यात्रा के लिए किराया संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र के किसी ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा संदत्त किया जाता है या संदेय है जिसको संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के उपबंध लागू होते हैं।

[सं० 6–एफ० टी० टी०/72/फा०सं० 306/3/72-एफ टी टी/सी एक्स–9.]

आर० के० थवानी, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972